



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239210
CG-DL-E-29092022-239210

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4388]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022/आश्विन 7, 1944

No. 4388]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022/ASVINA 7, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

सं. 37/2015-2020

का.आ. 4578(अ).—यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:

पैरा 1.01 में 'जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो 30 सितम्बर, 2022 तक लागू रहेगी' वाक्यांश को 'जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो 31.03.2023 तक लागू रहेगी' वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाता है।

इस अधिसूचना का प्रभाव: दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक वैध मौजूदा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 को दिनांक 31 मार्च, 2023 तक आगे बढ़ाया गया है।

[फा. सं. 01/75/171/00020/एम22/एफटीपी प्रकोष्ठ]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, 29th September, 2022

No. 37/2015-2020

S.O. 4578(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 read with paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, as amended, the Central Government hereby makes, with immediate effect, the following amendments in the [FTP 2015-2020](#):

In para 1.01, the phrase ‘shall remain in force upto 30th September, 2022 unless otherwise specified’ is substituted by the phrase ‘shall remain in force up to 31.03.2023 unless otherwise specified.’

Effect of this Notification : The existing Foreign Trade Policy 2015-2020 which is valid up to 30th September, 2022 is extended upto 31st March, 2023.

[F. No. 01/75/171/00020/AM22/FTPCell]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.